

23/6/25 पयावली मिसल पेशी प्रार्थना पत्र पर  
पेशी में ली गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 10  
व 11 ता 13 की ओर से अधिवक्ता  
सुरेन्द्र खारण ने वकालतनामा व जवाब  
प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल  
पयावली किया गया। वहम उभयपक्ष  
रखी गई। सहमति से प्रार्थना पत्र  
स्वीकार कर निर्णित किया जाता है  
विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया  
जाकर छुले इपलास सुनाया गया।  
पयावली नंबर से कम की जाका  
दाखिल करना की जाती है।

सहायक कलक्टर  
एव उपसहायक  
मुन्सिफ

